मादक पदार्थ की तलाशी, जप्ती, नमूना संग्रह और विनिष्टीकरण की "मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)"

मादक पदार्थ के बढ़ते प्रचलन, अवैध व्यवसाय एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि इसके विरूद्ध दृढ़ संकल्प के साथ विधि पूर्ण कार्रवाई की जाय। साथ ही इस अपराध में लिप्त अपराधियों को न्यायालय से त्वरित विचारण कराते हुए ससमय दाण्डिक प्रावधानों के अनुरूप दण्डित किया जाय। इस संदर्भ में सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि मादक पदार्थ के प्रवहन, उपभोग, भण्डारण अथवा खेती आदि किये जाने की किसी भी सूचना के उपरान्त इसकी पहचान, जप्ती एवं नमूना संग्रह की कार्रवाई विधि में निहित प्रावधानों के अक्षरशः अनुपालन करते हुए किये जाएं।

NDPS Act –1985 के साथ–साथ Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Seizure, Storage, Sampling and Disposal) Rules, 2022 एवं GSR 899(E) में इस संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान अनुपालन हेतु बनाये गये हैं। प्रक्षेत्रीय निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, राँची के सहयोग से उक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु विस्तृत रूप से एक मानक संचालन प्रक्रिया निम्न अनुसार निर्धारित की जा रही है :–

1. ड्रग की पहचान करना और उसकी जांच करना

प्रवर्तन/जाँच अधिकारी का मुख्य कर्तव्य स्वापक औषधियों (Narcotic Drug), मनः प्रभावी पदार्थ (Psychotropic Substance) और नियंत्रित पदार्थ (Controlled Substance) के अवैध व्यापार और दुरूपयोग की रोकथाम करना और उन्मूलन करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि, पुलिस अधिकारी यह पहचान करे कि, क्या कोई पदार्थ Narcotic Drug, Psychotropic Substance अथवा Controlled Substance है। उक्त मादक पदार्थों को निम्नवत् श्रेणीबद्ध किया जा सकता है :–

स्वापक औषधियां (Narcotic Drug) :– ये पादप (प्लांट/पौधा) आधारित और परम्परागत होती हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भांग (कैनाबिस), अफीम पोस्त, तृण(Poppy Straw) और ड्रग उक्त पौधों से प्राप्त की जाती हैं। गांजा, चरस (हशिश) केनाबिस पादप से प्राप्त किया जाता है। ये देश के लगभग सभी भागों में उपलब्ध हैं और इन औषधियों का निरंतर दुरूपयोग किया जाता है। इसी तरह अफीम, मोर्फीन, हीरोइन (ब्राउन सुगर) भी अफीम पोस्त से प्राप्त किए जाने वाले सुपरिचित/सुविख्यात यौगिक (Derivative) हैं। विधि की भाषा में NDPS Act की धारा–2 (XIV) के अनुसार स्वापक औाधियों का अभिप्राय कोका की पत्ती, केनाबिस (Hemp), अफीम, पोस्त तृण (Poppy Straw) से है और इसमें ऐसा सभी विनिर्मित सामान शामिल हैं जो कि समस्त कोका के व्युत्पाद, औषधिय केनाबिस, अफीम के व्युत्पाद, और पोस्त तृण सांद्र (Concentrate) हैं।

मनः प्रभावी पदार्थ (Psychotropic Substances):– इस शीर्षक के अंतर्गत NDPS Act की धारा–2 (XXIII) में शामिल किए गए पदार्थों को ऐसे किसी भी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्राकृतिक या संश्लिष्ट पदार्थ (Synthetic) या ऐसे पदार्थ या सामग्री का कोई लवण या उससे निर्मित कोई पदार्थ जैसा कि एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में 120 मदें और उनके साल्ट्स एवं यौगिक (Derivatives) शामिल हैं। तथापि, व्यापक संदर्भ में स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों की छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा के लिए पुलिस अधिकारी को अद्यतन परिवर्धनों(Additions) के साथ, यदि कोई हों, दिनांक–19.10.2001 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1055 (E) का अनुशीलन करना चाहिए।

नियंत्रित पदार्थ (Controlled Substances):– नियंत्रित पदार्थों के लिए तीन अनुसूचियां 'क'. 'ख' और 'ग' हैं। अनुसूची 'क' के अंतर्गत सात (7) मदें हैं :–

1. एसेटिक एनहाईड्राईड (जो कि हीरोइन के लिए प्रारंभिक तत्व है),
2. एन–एसेटिल एंथानिलिक एसिड,
3. एंथानिलिक एसिड (क्रम संख्या–02 एवं 03 मेथाक्वालोन के लिए प्रारंभिक तत्व हैं),
4. एफेड्रीन,
5. स्यूडोएफेड्रीन (क्रम संख्या–04 एवं 05 एम्फेटेमाईन/एटीएस के लिए प्रारंभिक तत्व हैं)
6. NPP एवं
7. ANPP (क्रम संख्या–06 एवं 07 फेंटानिल के लिए प्रारम्भिक तत्व हैं)।

इनके निर्माण, वितरण, बिक्री, आयात, निर्यात और उपभोग/खपत का नियंत्रण, क्षेत्राधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी के पास पंजीकरण करके और आवधिक (Periodic) रिपोर्टों और विवरणियों को दर्ज कर किया जाता है। अनुसूची 'ख' और 'ग' में 14 मदें शामिल हैं। ऐसे प्रत्येक मद का निर्यात और आयात स्वापक (नार्कोटिक) आयुक्त, ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जा सकता है।

ड्रग्स की पहचानः– गांजा, चरस, अफीम पोस्त जैसी प्राकृतिक स्वापक औषधियों को उनके रंग, बनावट और गंध से आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन आजकल दुरूपयोग की जाने वाली अधिकतर औषधियों को परिष्कृत और संसाधित पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है और उनका अधिकतर प्रचलन सफेद, धुंधले सफेद या ब्राउन पाउडर, क्रिस्टलों या फ्लेकों या रंगहीन गंध रहित तरल पदार्थों के रूप में होता है। इसलिए किसी पदार्थ की औषधि के रूप में पहचान तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि उसका विभिन्न अभिकर्मकों (रीएजेंट्स) से परीक्षण नहीं कर लिया जाता है।

2. जप्ती एवं बरामदगी

तलाशी की प्रक्रिया एवं बरामद पदार्थों के मादक पदार्थ होने की संभावना पाते ही निम्न प्रक्रिया का पालन करना चाहिए :–

डी0डी0किट से जांचः– स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ के रूप में संदिग्ध पदार्थों की थोड़ी सी मात्रा की जांच, ड्रग पहचान परीक्षण किट (DD Kit) की सहायता से की जानी चाहिए। पदार्थ की सूचक प्रकृति, उसके रंग की श्रेणी से स्थापित की जा सकती है। इसकी संपुष्टि, मालिक/दखलकार/भोक्ता से पूछताछ करने से भी की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बरामद किया गया पदार्थ स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ है। यदि संदिग्ध पदार्थों का एक से अधिक पैकेज बरामद होते हैं तो प्रत्येक पैकेट में से ऐसे पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा की जांच, परीक्षण किट से की जानी चाहिए।

जप्ती सूची तैयार करनाः– बरामद पदार्थों के मादक पदार्थों के रूप में पुष्टि पूर्ण होने के उपरान्त, उसके जप्ती की कार्रवाई की जाती है। उन्हें एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा –42 अथवा 43 (जो

भी लागू हो) के अंतर्गत डी.एल.ई.ओ. (Drug Law Enforcement Officer) द्वारा जप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वे एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा–60 के अंतर्गत जप्त किए जाने योग्य होते हैं। स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ को ढोने के लिए प्रयुक्त किसी जानवर अथवा वाहन को अथवा किसी सामग्री, अपरेटस, बर्तन को भी, जिनके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया गया है और इन्हें भी एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत जप्त किया जाना अपेक्षित है, जप्त किया जाना चाहिए। बरामद प्रतिबंधित पदार्थ (ड्रग्स) को, जिस स्थिति मे मिला हो उसी स्थिति मे सीलबंद करके लाना है, उन्हें आपस में नहीं मिलाना चाहिए। जप्ती अधिकारी और उसके दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बरामद किये गये प्रत्येक सामान, जो अभिशंसी स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ वस्तु या दस्तावेज हो, में सावधानी पूर्वक टैग लगाया जाना चाहिए जिस पर बरामदी के स्थान, उसको छिपाए जाने के तरीके का उल्लेख होना चाहिए तथा उन्हें जप्ती दल के सदस्य की हिफाजत में तब तक रखा जाना चाहिए, जब तक कि उनका पंचनामा और अंतिम दस्तावेज नहीं बना लिया जाता है।

यदि बरामद किए गए पैकेज, वस्तुएं और दस्तावेजों की संख्या बहुत अधिक है तो प्रत्येक किस्म की मद के लिए पृथक जप्ती सूचियां बनाई जानी चाहिए, जिनमें उनको आवंटित की गई संख्या, मद का विवरण, उन पर पाए गए चिन्ह और संख्या, मात्रा और वजन आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। बरामद और जप्त किए गए सभी दस्तावेजों पर मालिक/दखलकार, गवाहों और डी.एल.ई.ओ.(Drug Law Enforcement Officer) के हस्ताक्षर करवाए जाने चाहिए।

बिक्री से प्राप्त होने वाली आय और अन्य वस्तुएः– यदि तलाशी के संचालन के दौरान जप्ती अधिकारी को ऐसी धन राशि बरामद होती है, जिसे स्वापक औषधि (Narcotic Drug), मनः प्रभावी पदार्थ (Psychotropic Substance) और नियंत्रित पदार्थ (Controlled Substance) को बेचने से प्राप्त हुई, तो ऐसी धनराशि को जप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यह एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा–62 के अंतर्गत जप्त किए जाने योग्य होती है। स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ या स्वापी पादपों के साथ पाई गई कोई अन्य सामग्री, भले ही वह वैध है तो उसे भी जप्त किया जाना चाहिए। घटनास्थल पर पाए गए सभी संबंधित दस्तावेजों को जप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका प्रयोग, अभियोजन में सहायक साक्ष्य के रूप में किया जाएगा और न्यायालय एवं अनुसंधानकर्ता को उस अपराधी की आपराधिक मनःस्थिति के बारे में, दस्तावेज के निर्माता, विषय वस्तु आदि की सत्यता को मानने में सहायता मिलेगी। यदि स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ को विशेष रूप से निर्मित किए गए किसी पात्र/कंटेनर/वस्तु में बरामद किया जाता है जिसके अन्दर उसे छिपा कर रखा गया था तो उसे भी जप्त किया जाना चाहिए क्योंकि एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा–61 के अंतर्गत उन्हें भी जप्त किया जाना अपेक्षित है जिन्हें कब्जे में होने और आपराधिक मनःस्थिति के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

वीडियोग्राफीः– कई बार मुकदमे की कार्रवाई के दौरान गवाह और संदिग्ध व्यक्ति तलाशी दल पर कथित षड्यंत्र रचने के और कथित रूप से यह सिद्ध करने के आरोप–प्रत्यारोपण करते हैं कि बरामदी के समय वे मौके पर उपस्थित नहीं थे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बरामद की गई सभी सामग्री और उनको छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई विधियों की, बी0एन0एस0एस0 (BNSS) की धारा–105

के तहत वीडियो फिल्म बनाई जानी चाहिए, यह परिसरों के मालिक/दखलकार और गवाहों की उपस्थिति में रिकार्ड की जानी चाहिए। यह बाद में मुकदमे की कार्रवाई के दौरान ऐसे आरोपों के निवारक सिद्ध होंगे।

3. सैम्पलिंग, जाँच एवं विनिष्टिकरण

यह अत्यावश्यक है कि जप्त किए गए पदार्थ से विधि पूर्ण समुचित मात्रा में नमूने प्राप्त किए जाएं, उन्हें निर्धारित प्रयोगशालाओं में रासायनिक जाँच के लिए विधिवत भेजा जाए तथा जप्त किए गए पदार्थों में स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ होने की संपुष्टि के संदर्भ में विशेषज्ञ का प्राप्त रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि जप्त किए गए पदार्थों और नमूनों को विधिवत और निर्धारित तरीके से संभाल कर रखा जाए, ताकि उसकी बरामदी और जप्त किए जाने के समय से ले कर, न्यायालय में पेश करने और सैंपलिंग के बाद उनको प्रयोगशाला तक, उसकी हिफाजत की अटूट और सुरक्षित श्रृंखला (Chain of Custody) को बनाए रखा जा सके। मादक पदार्थ की बरामदगी के मामले में उसे मादक पदार्थ के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार केवल अधिसूचित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ (नोटिफाइड गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट) को ही है, जो प्राप्त किए गए नमूना का निर्धारित प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण के बाद ही उसे प्रमाणित कर सकता है। न्यायालय में इस आशय का प्रतिवेदन देने के बाद ही उसे प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर विचार किया जाता है।

यद्यपि प्रवर्तन/जाँच अधिकारी द्वारा जप्ती के समय किया गया परीक्षण, सूचना (Information) मात्र होता है कि बरामद किया गया पदार्थ स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ है, फिर भी अनुसंधान के दृष्टिकोण से घटनास्थल पर परिक्षण करना अनिवार्य है। ऐसा करने से अभियुक्त व्यक्ति के इस आरोप कि मादक पदार्थ को बेईमानी से मिला दिया गया या बदल दिया गया है आदि का खंडन हो जाता है और अभियुक्त को किसी प्रकार का Benefit of Doubt मिलने से रोका जा सकता है। भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 23.12.2022 के 899(E) में नमूना लेना (सैंपलिंग) के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है।

जप्त सामग्री का वर्गीकरणः–

1. एनडीपीएस अधिनियम के तहत जप्त की गई मादक पदार्थों, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों को भौतिक गुणों और ड्रग डिटेक्शन किट के माध्यम से जांच किया जाएगा और उनके परिणामों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और उन्हें अलग से तौला जाएगा।
2. यदि मादक पदार्थों, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों को पैकेजों या कंटेनरों में पाया जाता है, तो ऐसे पैकेजों और कंटेनरों को अलग से तौला जाएगा और पहचान के उद्देश्य से क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा।
3. खुले रूप में पाई गई सभी मादक पदार्थों, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों को टैंपर प्रूफ (छेड़छाड़ रोधी) बैगों या कंटेनरों में पैक किया जाएगा, जिनको क्रमानुसार चिन्हित और वजन किया जाएगा और ऐसे बैग या कंटेनर पर जप्त पदार्थ का विवरण और जप्ती की तारीख भी

लिखी जाएगी। यदि गांजा, पोस्ता भूसा बड़ी मात्रा मे पाया जाये तो उन्हें बोरों में पैक किया जा सकता है और इस तरह से सील किया जाय कि उसके साथ छेड़छाड़ न हो सके। जप्त किये गये मादक पदार्थ को छिपाने के लिए प्रयोग किया गया ट्रॉली बैग, बैकपैक और अन्य जप्त की गई वस्तुओं को अलग से सील किया जाएगा।

4. जप्ती की कार्यवाही के दौरान जप्त किए गए मादक पदार्थों का वर्गीकरण, वजन, पैकेजिंग और नंबरिंग, साक्षियों (पंचों) और उस व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसके कब्जे से मादक पदार्थ और वस्तुएं बरामद की गई हैं, और इस कार्यवाही को जप्ती के स्थान पर बनाए गए पंचनामा में अनिवार्य रूप से वर्णित किया जाएगा।
5. जप्त किए गए पैकेजों, कंटेनरों, वाहनों और अन्य वस्तुओं की विस्तृत सूची तैयार की जाएगी और उसे पंचनामा के साथ संलग्न किया जाएगा।

मजिस्ट्रेट को आवेदनः— जप्त मादक पदार्थ को निकटतम पुलिस थाना प्रभारी या एन0डी0पी0एस0 एक्ट—1985 की धारा—53 के अंतर्गत सशक्त अधिकारी द्वारा स्वयं जप्त किया जाता है, तो वह ऐसे मादक पदार्थ की फॉर्म—4 में सूची तैयार करेगा तथा धारा—52—ए की उपधारा (2) के अंतर्गत यथाशीघ्र फॉर्म—5 में मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा।

मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूने लिए जाएंगेः— एन0डी0पी0एस0 एक्ट—1985 की धारा—52—ए की उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन किए जाने के पश्चात, जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जप्त सामग्री के नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए जाएं एवं मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किए जाएं।

सैम्पल निकालनाः—

1. जप्त किए गए प्रत्येक पैकेज और कंटेनर से दो प्रतियों में सैंपल लिया जाएगा।
2. यदि जप्त किए गए पैकेज और कंटेनर समान आकार और वजन के हों, और उन पर समान चिह्न हों और प्रत्येक पैकेज की सामग्री ड्रग डिटेक्शन किट द्वारा जांच करने पर समान परिणाम दे, जिससे पता चले कि सभी पैकेज जाँच, गुणवत्ता एवं वजन मे एक समान हैं, तो पैकेज और कंटेनर को दस से अधिक पैकेज या कंटेनर के लॉट में सावधानीपूर्वक पैक किया जाना चाहिये, और प्रत्येक ऐसे लॉट से दो प्रतियों में एक सैंपल लिया जाएगा। बशर्ते कि गांजा, पोस्ता भूसी और हशीश(चरस) के मामले में इसे चालीस से अधिक पैकेज या कंटेनर का लॉट नहीं बनाया जा सकता है।
3. किसी विशेष लॉट से सैंपल लेने के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस लॉट के प्रत्येक पैकेज या कंटेनर से समान मात्रा का प्रतिनिधि सैंपल लिया जाए और एक संयुक्त मिश्रण बनाने के लिए एक साथ मिलाया जाए जिससे उस लॉट के लिए सैंपल लिए जाएं।

सैम्पल की मात्राः–

1. अफीम, गांजा और हशीश कि जप्ती के मामले मे न्यूनतम चौबीस (24) ग्राम की मात्रा ली जाएगी। अन्य सभी मामलों में प्रत्येक सैंपल के लिए न्यूनतम पांच (05) ग्राम मात्रा ली जाएगी और डुप्लिकेट सैंपल के लिए भी यही मात्रा ली जाएगी। पोस्ता भूसा के मामले मे न्यूनतम 100 ग्राम की मात्रा सैंपल के लिए निकाली जाये। अगर जप्त पदार्थ CBCS (Codeine-based Cough Syrup) हो तो जप्त पदार्थ के बैच अथवा लॉट से 01 पूरी बोतल सैंपल के लिए निकाली जाय। अगर जप्त मादक पदार्थ टेबलेट (गोलियों) के रूप मे हैं तो सैंपल के लिए पूरी एक स्ट्रिप (पत्ती) निकाली जाय।
2. यदि जप्त मादक पदार्थ की मात्रा सैंपल लेने के लिए आवश्यक मात्रा से कम है, तो जप्त की गई पूरी मात्रा भेजी जानी चाहिए।

सैंपल का भंडारणः–

1. प्रत्येक सैंपल को ऊष्मा प्रतिरोधी प्लास्टिक की बोतलों या ताप प्रतिरोधी कांच की बोतलों या उपकरणों में रखा जाएगा, जिन्हें एक कागज के लिफाफे में रखा जाएगा, ठीक से सील किया जाएगा और मूल या डुप्लिकेट के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
2. कागज के लिफाफे पर उस पैकेज या कंटेनर का सीरियल नंबर भी अंकित होगा जिससे सैंपल लिया गया है।
3. मूल सैंपल वाले लिफाफे में परीक्षण ज्ञापन का संदर्भ भी होगा और उसे एक अन्य लिफाफे में रखा जाएगा, जिसे सीलबंद किया जाएगा और 'गुप्त और गोपनीय नमूना/परीक्षण ज्ञापन' अंकित किया जाएगा, जिसे रासायनिक विश्लेषण के लिए नामित प्रयोगशाला को भेजा जाएगा।

परीक्षण के लिए सैंपल भेजनाः–

1. मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद सैंपल रासायनिक विश्लेषण के लिए बिना किसी देरी के सीधे अधिकार क्षेत्र वाली प्रयोगशालाओं में भेजे जाएंगे।
2. जप्त की गई दवाओं या पदार्थों के सैंपल अधिकार क्षेत्र वाली प्रयोगशालाओं को एक परीक्षण ज्ञापन के तहत भेजे जाएंगे, जिसे फॉर्म–6 में तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा।
3. टेस्ट मेमो की मूल और डुप्लिकेट प्रति सैंपल के साथ अधिकार क्षेत्र वाली प्रयोगशाला को भेजी जाएगी और तीसरी प्रति जप्ती अधिकारी (अनुसंधानकर्ता) की केस फाइल में रखी जाएंगी।

शीघ्र परीक्षणः–

GSR 899(E)– 2022 के नियम–14 के अनुसार अनुसंधानकर्ता 15 दिन के अंदर सैंपल की जांच रिपोर्ट रासायनिक प्रयोगशाला से मंगवाकर एक प्रति अदालत को भी प्रस्तुत करेंगे।

डुप्लीकेट सैम्पल तथा सैम्पलों के अवशेषः–

1. सैंपलों के अवशेष परीक्षण ज्ञापन के अनुसार प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण के पश्चात तीन माह के भीतर उस कार्यालय को लौटा दिए जाएंगे जहां से वे प्राप्त हुए थे।

2. न्यायालय द्वारा परीक्षण रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के तुरन्त पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा रखे गए सैम्पल की दूसरी प्रति और अवशेष सैम्पल के साथ गोदाम या मालखाना में जमा कराई जाएगी।

निपटान **(Disposal)**

वे वस्तुएं जिनका निपटान किया जा सकता हैः— सभी स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ तथा वाहनों का अधिनियम की धारा—52—ए के अंतर्गत निर्धारित तरीके से जप्ती के पश्चात यथाशीघ्र निपटान किया जाएगा।

अधिकारी द्वारा निपटान के लिए कार्रवाई आरंभ करनाः— किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या इस अधिनियम की धारा—53 के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस अधिनियम की धारा—52—ए के अधीन स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या वाहनों के निपटान के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा।

मजिस्ट्रेट को आवेदनः—

1. अधिनियम की धारा—53 के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा स्वयं ऐसी सामग्री जप्त की जाती है, तो अधिनियम की धारा 52—ए की उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 52—ए की उपधारा (3) के अधीन जप्ती करने की शीघ्र अनुमति प्रदान करने के लिए फॉर्म —5 में आवेदन करेगा।
2. मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम की धारा—52—ए की उपधारा (3) के अधीन आवेदन स्वीकार कर लेने के पश्चात् उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रमाणित सूची, फोटोग्राफ तथा नमूनों को ऐसे मामले के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखेगा तथा जप्त सामग्री का विवरण ड्रग डिस्पोजल कमेटी के समक्ष डिस्पोजल के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी जप्त सामग्री के साथ विवरण की एक प्रति मालखाना प्रभारी को भी भेजेगा।

ड्रग डिस्पोजल कमेटी का गठनः— राज्य के प्रत्येक जिला में ड्रग डिस्पोजल कमिटी तथा राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमिटी के गठन के संदर्भ में पुलिस आदेश सं0—71/2018, ज्ञापांक—411/एन0जी0ओ0, दिनांक—20.07.2018 पूर्व से निर्गत है। इसके अनुसार प्रत्येक जिला में जिला के पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कुल—03 सदस्यीय ड्रग डिस्पोजल कमिटी का गठन किया जायेगा, जिसमें उसी जिला में पदस्थापित 02 अन्य पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी सदस्य होंगें। इसी प्रकार पुलिस उप—महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची या अन्य वरीय पदाधिकारी, जो पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित किये जायेंगें, की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमिटी का गठन किया जाना है। इस उच्च स्तरीय समिति में पुलिस अधीक्षक (ATS) एवं संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगें।

ड्रग डिस्पोजल कमिटी के कार्य :–

(क) यथा संभव और आवश्यक रूप से बैठक करना
(ख) जप्त वस्तुओं का डिस्पोजल के लिए विस्तृत समीक्षा करना
(ग) जप्त वस्तुओं के डिस्पोजल का आदेश देना, और
(घ) संबंधित अनुसंधान अधिकारियों या पर्यवेक्षी अधिकारियों को शीघ्र निपटान के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह देना।

जप्त की गई वस्तुओं के डिस्पोजल के संबंध में ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:–

1. न्यायालय से निपटाव की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त थाना प्रभारी/मालखाना प्रभारी अधिकारी अधिनियम की धारा–52–ए के अंतर्गत प्रमाणित सभी जप्त की गई वस्तुओं की सूची तैयार करेगा तथा उसे संबंधित ड्रग डिस्पोजल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
2. संबंधित कमेटी निर्दिष्ट सूची की जांच करने के पश्चात् जप्त की गई प्रत्येक सामग्री का भौतिक रूप से परीक्षण करेगी तथा जप्ती रिपोर्ट, रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों के संदर्भ में वजन तथा अन्य विवरणों का सत्यापन करेगी तथा प्रत्येक मामले में अपने निष्कर्ष दर्ज करेगी। संबंधित ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्य संतुष्ट होने के पश्चात् एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा– 52–ए की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन होने पर संतुष्ट होने के उपरान्त आवश्यक प्रमाण–पत्र (Meeting Minutes) पृष्ठांकित करेंगे।
3. जप्ती सूची में उल्लेखित वाहनों का इंजन संख्या, चेसिस संख्या तथा अन्य विवरणों का सत्यापन करेगी तथा उनकी सूची प्रमाणित करेगी।

जप्त सामग्री के डिस्पोजल के लिए ड्रग डिस्पोजल कमेटी की शक्ति:– ड्रग डिस्पोजल कमेटी निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित मात्रा या मूल्य तक जप्त सामग्री के डिस्पोजल का आदेश दे सकती है :–

तालिका

क्रम.सं.	वस्तु का नाम	प्रति केस मात्रा
(1)	(2)	(3)
1	हेरोइन	5 किलोग्राम
2	हशीश (चरस)	100 किलोग्राम
3	हशीश आयल	20 किलोग्राम
4	गांजा	1000 किलोग्राम
5	कोकीन	2 किलोग्राम
6	मैंड्रैक्स	3000 किलोग्राम
7	पोस्ता भूसा	10 मैट्रिक टन तक
8	अन्य मादक दवाएं, मनोदैहिक पदार्थ या निषिद्ध पदार्थ	500 किलोग्राम या 500 लीटर तक
9	वाहन रुपये के मूल्य तक	50 लाख तक

परन्तु यदि माल अधिक मात्रा में है या सूची में उल्लेखित मूल्य से अधिक है, तो जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी अपनी सिफारिश महानिदेशक महोदय को भेजेगी जो विशेष रूप से इस संबंध मे गठित उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी को विधिवत् डिस्पोजल का आदेश देंगे।

ड्रग्स के विनष्टीकरण से पूर्व विभागाध्यक्ष को सूचनाः– ड्रग डिस्पोजल कमेटी ड्रग के विनष्टीकरण के संबंध में विभागाध्यक्ष को कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचना देगी, ताकि वह, चाहें तो स्वयं आकस्मिक निरीक्षण कर सके या ऐसा आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सके और प्रत्येक विनष्टीकरण अभियान के पश्चात ड्रग डिस्पोजल कमेटी, विनष्टीकरण का ब्यौरा देते हुए विभागाध्यक्ष को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

निपटान का तरीकाः–

1. अफीम, कोडीन और थिबेन को मुख्य कारखाना नियंत्रक के अधीन सरकारी अफीम और स्वापक कारखाना गाजीपुर या नीमच में स्थानांतरित किया जाएगा।
2. ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा सिफारिश किये गये नरकोटिक ड्रग्स और मनःप्रभावी पदार्थ जो डिस्पोजल के लिए तैयार हैं, उसका ब्योरा यथाशीघ्र मुख्य कारखाना नियंत्रक को दिया जाएगा। मुख्य कारखाना नियंत्रक 15 दिन के अंदर संबन्धित ड्रग की मांग प्रेषित करेंगे।
3. मुख्य कारखाना नियंत्रक द्वारा अधिग्रहित मनःप्रभावी औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की मात्रा, यदि कोई हो, उसे हस्तांतरित कर दी जाएगी और मनःप्रभावी औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की शेष मात्रा का निपटान GSR 899(E) के नियम 23 के उपनियम (5), (6) और (7) के उपबंधों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थानों पर या जहां पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद हो और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त कर ड्रग डिस्पोजल कमेटी के समक्ष किया जाएगा। दवाइयों के मामले मे जप्त फॉर्मूलेशन की शेल्फ लाइफ अगर 60% से कम बची हो तो इसका विनिष्टीकरण किया जा सकता है

विनष्टीकरण प्रमाण–पत्रः–

1. फार्म–7 में विनष्टीकरण प्रमाण–पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा तथा ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
2. विनष्टीकरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति इस आशय की आवश्यक प्रविष्टियां करने के पश्चात गोदाम रजिस्टर में चिपकाई जाएगी, दूसरी प्रति जप्ती मामले की फाइल (केस फाइल) में रखी जाएगी तथा तीसरी प्रति ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा रखी जाएगी।

राजकीय अफीम और अल्कलॉइड कारखानों द्वारा प्राप्तिः–

1. जब कभी कोई जप्त की गई मादक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ या निषिद्ध पदार्थ किसी सरकारी अफीम और अल्कलॉइड कारखाने को हस्तांतरित किया जाता है, तो वह ऐसे हस्तांतरण की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए फार्म–8 में प्रमाण–पत्र जारी करेगा, जिस पर कारखानों के मुख्य नियंत्रक द्वारा नामित प्राधिकारी का हस्ताक्षर लिया जाएगा ।

निपटान का प्रमाण—पत्रः—

1. जब और जहां कोई जप्त की गई स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, निषिद्ध पदार्थ या वाहन सरकारी अफीम एवं स्वापक कारखाने को हस्तांतरित किया जाता है या सार्वजनिक बिक्री या नीलामी के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से बेचा जाता है, जैसा कि ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, एक निपटान प्रमाण—पत्र प्रारूप—10 में तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा और उस पर ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
2. प्रमाण—पत्र की मूल प्रति गोदाम रजिस्टर में चिपकाई जाएगी, दूसरी प्रति जप्ती मामले की फाइल (केस फाइल) में रखी जाएगी और तीसरी प्रति ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा रखी जाएगी।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को संसूचनाः—पुलिस महानिदेशक एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 52ए के अधीन स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, प्रतिबंधित पदार्थों और वाहनों के निपटान के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को प्रारूप—11 में त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

4. स्वापक औषधियों की फसल की अवैध कृषि

ड्रग्स को जप्त करना ड्रग्स की आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक तरीका है। लेकिन ऐसा करने का उत्तम तरीका यह है कि जहाँ से यह शुरू होती है, उसको ही समाप्त किया जाय, अर्थात उस फसल की कृषि को ही समाप्त कर दिया जाय। ड्रग्स के उसी आपूर्ति को समाप्त करने के लिए केनाबीस, अफीम पॉपी और कोका के फसल का सर्वेक्षण, पहचान और उनको नष्ट करना एक मुख्य कार्य—नीति है। भारत में केवल अफीम पॉपी और केनाबीस की अवैध उपज होती है। एन0डी0पी0एस0 अधिनियम—1985 के विशिष्ट प्रावधान क्षेत्रीय अधिकारियों को इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

शक्तिः— एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा—41, 42, 43 एवं 44 में तलाशी, जप्ती एवं गिरफ्तारी हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी की विस्तृत व्याख्या की गई है। एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा—48 के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी यदि वह राजपत्रित अधिकारी है तो फसल को कुर्क कर सकता है और जप्त किए गए पादपों को नष्ट करने के आदेश जारी कर सकता है।

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा—46 के अंतर्गत भू—स्वामी का यह दायित्व है कि वह अपने खेत/क्षेत्र में स्वापक पादपों की किसी भी प्रकार की अवैध कृषि के बारे में सूचित करे। इसी प्रकार धारा—47 के अंतर्गत भू—राजस्व अधिकारियों एवं ग्राम के मुखिया, सरपंच एवं पंच का यह दायित्व है कि वे धारा—42 के अंतर्गत प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को अवैध स्वापक की फसल की कृषि होने की घटना के बारे में सूचित करे। इन धाराओं का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना आवश्यक है, एवं इसका अनुपालन नही करने वालों पर विधि पूर्ण कार्रवाई करना आवश्यक है।

प्रक्रियाः— अवैध खड़ी स्वापक फसलों की पहचान किए जाने पर प्रवर्तन अधिकारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिएः—

(क) ग्राम प्रधान और भू–राजस्व अधिकारी से संपर्क करके उनसे कहे कि वे भूमि के रिकार्ड से यह पता लगाएं कि भूमि की पहचान संख्या क्या है और उसका स्वामी कौन है। उसके बाद मौके पर पूछताछ करे तथा भूमि के मालिक और कृषक की पहचान करे।

(ख) वन्य भूमि होने के मामले में प्रवर्तन अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन्य अधिकारी से संपर्क करके रिकार्ड से पता लगाना चाहिए और मौके पर पहुंच कर कृषक के ब्यौरों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए तथा कार्यवाही के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

(ग) ऐसी फसलों के खेत/क्षेत्र का मापन किया जाए।

(घ) पादपों की संख्या का गणना करें। युक्ति संगत और उचित आकलन के लिए उसे भूमि के तीन या चार विभिन्न भागों में एक वर्ग मीटर क्षेत्र को निर्धारित करना चाहिए, पादपों की संख्या को गिनना चाहिए, पादपों को जड़ से उखाड़ दे या काट दे और सबका वजन करे। उसके बाद प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में उपजे पादपों की औसत संख्या और उनके वजन का आकलन करे तथा समय क्षेत्र के पादपों की कुल संख्या और वजन निकालने के लिए उन संख्याओं का विस्तार कर ले।

(ड.) खड़ी फसल को चिन्हित कर उसे जप्त कर लें और कुछ अफीम पॉपी पादपों अथवा केनाबिस पादपों के प्रतिनिधि नमूने ले कर उनका पंचनामा (जप्ती सूची) बनाएं।

(च) एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा–57 के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि कोई राजपत्रित अधिकारी तलाशी दल के साथ जाता है तो ऐसी रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है और पंचनामे में राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(छ) राजपत्रित अधिकारी से कुर्की के आदेश और पादपों को नष्ट करने के आदेश प्राप्त की जाए।

(ज) हाथ से अथवा मशीनों से पादपों को जड़ से उखाड़ने अथवा काटने की कार्रवाई की जाए।

(झ) पादपों को जलाकर नष्ट किया जाए ।

(ञ) खड़ी फसल का फोटोग्राफ लें और ऐसी समग्र कार्रवाई की वीडियोग्राफ की जाए तथा पंचनामे में उसका उल्लेख करें और फोटोग्राफ वीडियो को साक्ष्य के रूप में रखें।

तथापि, उपरोक्त कार्रवाई उसी मामले में की जानी चाहिए जिसमें स्वापक के फसलों वाले खेत के मालिक की पहचान नहीं की जा सकती है जैसा कि वन्य भूमि अथवा अन्य सरकारी भूमि के मामले में होता है। इस कार्रवाई का एक धारावाहिक पंचनामा बनाया जा सकता है जिसमें उपरोक्त (क) से (ञ) तक के बिन्दुओं की समय प्रकिया का विस्तार से वर्णन निहित हो। **यदि अवैध फसलों के कृषक की पहचान हो जाती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और न्यायालय में पेश कर दिया जाता है तो राजपत्रित अधिकारी को न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना फसल को नष्ट करने का आदेश नहीं देना चाहिए।** ऐसे मामलों में उखाड़ी गई फसल/पादपों को मालखाने में अथवा किसी

अन्य सुरक्षित/निश्चित स्थल में भंडारित किया जाना चाहिए और धारा–52–ए के अंतर्गत उसका मुकदमे शुरू होने से पहले निपटान की अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। धारा–52–ए के अंतर्गत प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही फसल/पादपों को नष्ट किया जाना चाहिए।

मादक पदार्थ के काण्ड के अनुसंधान की प्रक्रिया

क्र0सं0	अनुसंधान शीर्ष	कर्त्तव्य का विवरण
1	तलाशी	किसी व्यक्ति के पास अथवा स्थान में मादक पदार्थ के होने की सूचना पर सर्वप्रथम उक्त व्यक्ति अथवा स्थान के स्वामी को एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा–50 के तहत राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा तलाशी की स्वीकृति हेतु नोटिस देकर स्वीकृति प्राप्त कर तलाशी लेना।
2	मादक पदार्थ की जाँच	तलाशी के क्रम में संदिग्ध मादक पदार्थ पाये जाने पर आवश्यक एवं उचित मात्रा लेकर डी0डी0 किट से बरामद पदार्थ की जाँच करना। इस पूरी जाँच प्रक्रिया का विडियोग्राफी करना।
3	जप्ती की कार्रवाई	बरामद पदार्थ के मादक पदार्थ होने की पुष्टि होने के उपरान्त विधिपूर्वक सही–सही माप–तौल कर विहित प्रपत्र में जप्ती सूची तैयार करते हुए प्रदर्शों को जप्त करना। पदाधिकारी द्वारा यह प्रयास अवश्य किया जाय कि अभियुक्त के पास से मोबाईल फोन की बरामदगी सुनिश्चित हो एवं उसके बैंक खाताओं की भी जानकारी यथा संभव प्राप्त किया जाय। साथ ही यदि अभियुक्त द्वारा किसी वाहन का उपयोग किया जा रहा हो, उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की जाय एवं जप्ती सूची में इसकी पूर्ण विवरणी अंकित किया जाय।
4	पैकिंग एवं सीलबंद करना	बरामद सभी प्रदर्शों को टैम्पर प्रुफ बैग या कंटेनर अथवा काफी ज्यादा मात्रा पाये जाने पर बोरा में पैक करते हुए सीलबंद करना।
5	प्राथमिकी अंकित करना	इस पूरी घटना का घटनास्थल पर ही बयान लेखबद्ध करना एवं प्राथमिकी अंकित करने की कार्रवाई करना।
6	गिरफ्तारी	अभियुक्त को विधिवत् गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार कर गिरफ्तार करना।
7	अनुसंधान	a. स्वीकारोक्ति बयान :–गिरफ्तार अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान अंकित करना। इस क्रम में बरामद प्रदर्श के स्त्रोत एवं वितरण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी एकत्र करना। b. न्यायालय में प्रस्तुतिकरण :–घटना/प्राथमिकी अंकित करने के 24 घण्टे के अंदर प्राथमिकी की मूल प्रति/जप्ती सूची की मूल प्रति/जप्त प्रदर्श एवं गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत करना। c. नमूना संग्रह :–माननीय न्यायालय को एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा–52ए के तहत बरामद मादक पदार्थ का नमूना संग्रह करने

		हेतु आवेदन देते हुए न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा नमूना संग्रह की विधिवत् कार्रवाई करना। d. प्रदर्श की रासायनिक जाँच कराना :– न्यायालय द्वारा नमूना संग्रह करने के उपरान्त न्यायालय की अनुमति से बरामद प्रदर्श के नमूने को विधि–विज्ञान प्रयोगशाला जाँच हेतु अग्रसारित करना। e. अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त के पास से बरामद मोबाईल एवं उसके द्वारा व्यवहृत विभिन्न बैंक खाताओं की गहन जाँच करते हुए मनी ट्रेल का एवं फॉरवर्ड/बैकवर्ड लिंक की जानकारी प्राप्त करते हुए सभी का सत्यापन करना एवं साक्ष्यानुसार कार्रवाई करना। f. विधि–विज्ञान प्रयोगशाला से भेजे गये नमूना का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करना। g. विधि–विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से मादक पदार्थ की पुष्टि होने पर एवं अनुसंधान की अन्य सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर न्यायालय में प्राप्त साक्ष्यानुसार अंतिम प्रपत्र समर्पित करना। h. अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ के अवैध व्यवसाय से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति की जप्ती की कार्रवाई की जाय।

अनुसंधान के अतिरिक्त अन्य आवश्यक कर्त्तव्य

1. अपराध अभिलेखों में प्रविष्टि :– अनुसंधान उपरान्त अंतिम प्रपत्र समर्पित करने के साथ ही अभियुक्त की सम्पूर्ण विवरणी की प्रविष्टि संबंधित सभी अपराध अभिलेखों में की जाय।
2. PITNDPS की कार्रवाई :– आदतन अपराध करने वाले अभियुक्त के विरूद्ध PITNDPS का प्रस्ताव उचित माध्यम से समर्पित किया जाय।
3. निगरानी प्रस्ताव :– ऐसे अभियुक्तों पर सतत निगरानी हेतु निगरानी प्रस्ताव समर्पित किये जाएं।
4. जप्त प्रदर्श का विनष्टीकरण :– काण्ड में जप्त प्रदर्शों का विधि–विज्ञान प्रयोगशाला से रासायनिक जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर विधि अनुसार जप्त मादक पदार्थों के विनष्टीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।